उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–5
संख्या–829/पॉच–5–2020
लखनऊ दिनॉकः 10 अप्रैल, 2020
<u>कार्यालय–ज्ञाप</u>

भारत सरकार के पत्र संख्या–एन0एच0एस0आर0सी0/20–21/ई0डी0सेक०/कोविड–19/05, दिनांक 28.03.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कोविड–19 के संक्रमण से प्रभावित रोगियों को बेहतर उपचार की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एपिडेमिक एक्ट–1897 (अधिनियम संख्याः 03, वर्ष 1897) की धारा–2 के अधीन निर्गत उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कोविड–19 नियमावली–2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश के निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों को एतदद्वारा डेडिकेटेड **"कोविड–19"** एल–2 चिकित्सालय के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र. सं.	निजी चिकित्सालय	शैय्या की संख्या	वेन्टीलेटर की सं0
1	अपेक्स हास्पिटल, वाराणसी (जनपद जौनपुर के प्रयोगार्थ)	100	5
2	होप हास्पिटल, गोरखपुर (जनपद कुशीनगर के प्रयोगार्थ)	64	14
3	चौहान हास्पिटल, आगरा (जनपद मैनपुरी के प्रयोगार्थ)	20	1
4	सेण्ट मेरी हास्पिटल, लखनऊ (जनपद रायबरेली के प्रयोगार्थ)	75	2
5	खुशलोक हास्पिटल, बरेली (जनपद रामपुर के प्रयोगार्थ)	70	9
6	वी0आई0आई0टी0 हास्पिटल, बुलन्दशहर	40	2

2– उक्त निजी चिकित्सालय संबंधित जिलाधिकारी से आदेश प्राप्त होने के 05 दिवस के अन्दर चिकित्सालय को कोविड–19 संक्रमित रोगियों के उपचार हेतु शासन द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों (भर्ती रोगियों को डिस्चार्ज करने, अन्य चिकित्सालयों में स्थानान्तरित करने, चिकित्सालय परिसर को सैनेटाइज करने एवं कोविड–19 से संक्रमित रोगियों के उपचार से सम्बन्धित आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता) के अनुसार तैयारियां पूर्ण कर लेंगे। कोविड–19 से संक्रमित रोगियों के उपचार तथा उपचार के उपरान्त चिकित्सालयों को प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

10.4.20

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या– 829(1)/पॉंच–5–2020 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

suneel sir u.0 com-3

3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, संचारी रोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित मण्डल/जनपद को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

suneel sir u.0 com-3